न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रार्थना पत्र/ FSSA संख्या : 37/2017

श्री आसिमदीन, खाद्यसुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

सायल

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्री महेशचंद मालिक एवं विक्रेता मै0 प्रदीप कुमार दिलीप कुमार मैन मार्केट कुम्हेर जिला भरतपुर निवासी कटरा मौहल्ला कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. मै0 घासीलाल एण्ड सन्स, बी –10 चांदपॉल अनाजमण्डी जयपुर।
3. मैसर्स यूनिवर्सल ट्रेडिंग कम्पनी , बी–10 चांदपोल, अनाज मण्डी जयपुर 302001

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26 की उपधारा 2 (ाा) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 25.7.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26 की उपधारा 2 (ाा) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 विरूद्ध गैरसायलान प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायलान उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 15.9.2016 को प्रातः 10.00 बजे गैरसायल की फर्म मैसर्स प्रदीप कुमार दिलीप कुमार मैन मार्केट कुम्हेर जिला भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विक्रय हेतु 500 ग्राम के 20 पैकिट मिर्च पाउडर (756 ब्राण्ड) रखे पाये गये। जिनमें मिलावट/मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–908/एक्ट/2016/915 दिनांक 26.9.2016 द्वारा उक्त मिर्च पाउडर (756 ब्राण्ड) का नमूना अवमानक एवं मिथ्याछाप स्तर (Sub standred and Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप स्तर (Sub standred and

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Misbranded) प्रकृति के मिर्च पाउडर (756 ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म से मिर्च पाउडर की शुद्धता (मिलावट) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस–908/एक्ट/2016/915 दिनांक 26.9.2016 में अवमानक एवं मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। गैर सायल के द्वारा तैयार मिर्च पाउडर की जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ को हानिकारक नहीं माना है। गैर सायल यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। साथ ही पायी गई त्रुटी को तत्समय दुरूस्त भी कर लिया गया है। गैर सायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैर सायल भविष्य में सावधानीपूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट को पैकिंग/विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रमि नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की फर्म मैसर्स प्रदीप कुमार दिलीप कुमार मैन मार्केट कुम्हेर जिला भरतपुर से आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विक्रय हेतु करीब 500 ग्राम के 20 पैकिट मिर्च पाउडर (756 ब्राण्ड) रखे पाये गये । संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य बिश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–908/एक्ट/2016/915 दिनांक 26.9.2016 द्वारा उक्त मिर्च पाउडर (756 ब्राण्ड) का नमूना अवमानक एवं मिथ्याछाप स्तर (Sub standred and Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायलान को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51–52 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 15,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल द्वारा रसीद संख्या 000099 दिनांक 25.7.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.7.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official